रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2011/श्रावण 26, 1933
No. 169] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2011/SRAVANA 26, 1933

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 अगस्त, 2011

फा. सं. टीएएमपी/18/2011-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 49 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास को छोड़कर, सभी महापत्तन न्यासों के दरमान अनुसूची में एक सशर्तता के रूप में लाइसेंस फीस और पट्टा किराए इस दस्तावेज के साथ संलग्न आदेशानुसार सन्निविष्ट करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/18/2011-सामान्य

आदेश

(जुलाई, 2011 के 26वें दिन पारित)

भारत सरकार के पोत मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या पीटी-11033/पीटी, दिनांक 4 मार्च, 2011 के द्वारा महापत्तन-2010 के लिए भूमि नीति कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित कर दी है जो बताया गया है कि 13 जनवरी, 2011 से लागू हो गई है । इस प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह महापत्तनों में पट्टा किराया नियमित करने में, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भूमि नीति मार्गदर्शियों का अनुपालन करें ।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्तमान दरमान/महापत्तन न्यासों के लाइसेंस शुल्क/पट्टा किरायों प्रावधान, महापत्तन-2010 के लिए भूमि-नीति में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप है, एवं निम्नलिखित सशर्तता, सभी महापत्तन न्यासों में (मुम्बई पत्तन न्यास को छोड़कर) समान रूप से लागू किए जाने के लिए प्रदान की जाती है :

> "प्रचलित दरमान लाइसेंस फीस और पट्टा किराए की अनुसूची में प्रदत्त सभी शर्तें/टिप्पणियां, उतनी मात्रा में लागू होंगी जितनी मात्रा में वे भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी, 2011 को उद्घोषित महापत्तन-2010 भू-नीति में प्रदत्त शर्तों से असंगत नहीं है । असहमति की स्थिति में, भारत सरकार द्वारा महापत्तन-2010 भू-नीति में प्रदत्त शर्तें ही प्रचलित रहेंगी ।"

3. दरमान में उपरोक्त संशोधन 13 जनवरी, 2011 से अर्थात् भू-नीति 2010 की उद्घोषणा की तारीख से प्रभावी माना जाएगा ।

4. सभी महापत्तन न्यासों (मुम्बई पत्तन न्यास को छोड़कर) को एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त कथित शर्तबन्दी को अपने दरमान लाइसेंस फीस और पट्टा किराए की अनुसूची में सन्निविष्ट कर लें ।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/11-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th August, 2011

F. No. **TAMP/18/2011-Gen.**—In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby inserts in the Scale of Rates/Schedule License Fee and Lease Rentals of all the Major Port Trusts except Mumbai Port Trust a conditionality, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/18/2011-Gen.

ORDER

(Passed on this 26th day of July, 2011)

The Government of India in the Ministry of Shipping vide its letter No. PT-11033/PT, dated 4th March, 2011 has forwarded Land Policy for Major Ports-2010 for implementation which is stated to have come into effect from 13th January, 2011. This Authority is required to follow the Land Policy guidelines issued by the Government from time to time in the matter of regulating lease rentals at the major ports.

2. In order to ensure that the provisions in the existing Scale of Rates/Schedule of the License Fee/Lease Rentals of the Major Port Trusts are in consonance with the provisions prescribed in the Land Policy for Major Ports-2010, the following conditionality is prescribed for common application at all the Major Port Trusts (except Mumbai Port Trust) :

> "All the conditions/notes prescribed in the existing Scale of Rates/Schedule of License Fees and Lease Rentals shall apply to the extent they are not inconsistent with the conditions prescribed in the Land Policy for Major Ports-2010 announced by the Government on 13th January, 2011. In case of disagreement, the conditions prescribed by the Government in the Land Policy for Major Ports-2010 shall prevail."

3. The above mentioned amendments to the Scale of Rates shall take retrospective effect from 13th January, 2011, i.e. from the date of announcement of Land Policy, 2010.

4. All the Major Port Trusts (except Mumbai Port Trust) are hereby directed to insert the above said conditionality in their Scale of Rates/Schedule of License Fee and Lease Rentals.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT. III/4/143/11-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.